रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 1986/चैत्र 21, 1908
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 1986/CHAITRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

सं. 8/37/85-टी. पी. सी. :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

भाग 1

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ :— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. निरसन और व्यावृत्ति :—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन किए गए निम्नलिखित आदेश निरसित किए जाते हैं :—

1. सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 ।

2. वस्त्र (शक्ति चालित करघा द्वारा उत्पादन) आदेश, 1956 ।

3. कृत्रिम रेशम वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 ।

4. ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962

5. वस्त्र (बुनाई, कढाई, लेस निर्माण और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1963 ।

परन्तु इस प्रकार निरसित आदेशों के अधीन किया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना, उद्भूत अधिकार, उपगत शास्ति या की गई या की गई समझी गई, समझी गई कोई बात, इस आदेश के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया, जारी की गई, उद्भूत या उपगत या की गई समझी जाएगी।

3. इस आदेश में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं :—(1) "अपील प्राधिकारी" से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसके क्षेत्र के भीतर शक्ति-चालित करघा या विद्यमान शक्ति चालित करघा अवस्थित है या अवस्थित किया जाने वाला है और जो इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(2) कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में तब समझी जाएगी जब वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति की ओर से धारित की जाती है या जब वह उस व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की ओर से धारित की जाती है ;

(3) "प्रमाण-पत्र" से, इस आदेश या निरसित आदेशों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है ;

(4) "नगर" से, किसी नगरपालिक प्राधिकरण (चाहे उसका नाम जो भी हो) की स्थानीय सीमाओं के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है जिसकी जनसंख्या (भारतीय जनगणना, 1981 में यथा अवधारित) पांच लाख से अधिक है ;

(5) "कपड़ा" से ऐसा कोई फैब्रिक अभिप्रेत है जो कपास, ऊन, कृत्रिम रेशे (अविच्छिन्न) या कृत्रिम रेशे (विच्छिन्न), प्रकृतिक रेशम या इन सामग्रियों के अपशिष्ट से बना हो और इसमें किसी अन्य सूत वाला कपड़ा सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :—

(क) होज पाइप ;

(ख) होजरी, जिसमें बुने हुए या ऐसे ट्यूबलर फैब्रिक सम्मिलित हैं जिसमें सम्पूर्ण फैब्रिक में एक ही सूत चलता जाता है ;

(ग) चमड़े के कपड़े, निम्नकोटि के या नकली चमड़े के कपड़े जो सामान्यतया जिल्दसाजी या जिल्दसाजी का कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है ;

(घ) निर्मित कपड़े ;

(ङ) मखमली कपड़ा जिसके विनिर्माण में सूती धागों का प्रयोग किया जाता है ;

(च) रबड़कृत या संश्लिष्ट जलरोधी फैब्रिक चाहे वह इकहरा टैक्चर किया हुआ या दोहरा टेक्चर किया हुआ है ;

(छ) अनुरेखण कागज ।

(6) (क) "नियंत्रित कपड़ा" से ऐसी किसी किस्म, वर्ग या विनिर्देश का कपड़ा अभिप्रेत है जिसके लिए अधिकतम कीमत या वह सिद्धांत जिस पर या वह रीति जिसमें अधिकतम कीमत विनिर्माता द्वारा उस प्रकार नियत की जाएगी जैसी खंड 16 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट है ;

(ख) "गैर-नियंत्रित कपड़ा" से ऐसा कपड़ा अभिप्रेत है जो नियंत्रित कपड़ा से भिन्न है;

(7) "कपास का सूत या कपड़ा" से, सूत या कपड़े की कोई ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो पूर्णतः कपास से या अंशतः कपास से और अंशतः किसी अन्य सामग्री से विनिर्मित है जिसमें कपास भार के आधार पर अत्यधिक मात्रा में है ;

(8) "प्ररूप" से इस आदेश के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है या जो इस आदेश के अधीन वस्त्र आयुक्त या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(9) "बुनाई मशीन" से, ताना-बुनाई मशीन अभिप्रेत है और इसमें वह मशीन भी सम्मिलित है जो सामान्यतः रस्चल बुनाई मशीन के नाम से जानी जाती है ;

(10) "लेस निर्माण मशीन" से शक्तिचालित ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो धागों को आर-पार कर गूंथकर बनी खुली जाली या जाल के फैब्रिकों के उत्पादन के लिए है ;

(11) "कृत्रिम रेशों के सूत या कपड़े" से, ऐसे सूत या कपड़े अभिप्रेत हैं जिनमें कृत्रिम रेशे (अविच्छिन्न) या कृत्रिम रेशे (विच्छिन्न) भार के अनुसार अत्याधिक मात्रा में है ;

(12) "विनिर्माता" के अन्तर्गत, उत्पादक या प्रसंस्करणकर्ता या दोनों आते हैं और "विनिर्माण" पद और उसके व्याकरणिक रूप में दो का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(13) "महानगर क्षेत्र" से, भारतीय जनगणना, 1981 में यथा अवधारित एसा मानक नगर क्षेत्र सीमा अभिप्रेत है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ;

(14) "विक्रय के लिए प्रस्थापना" पद में किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के विक्रय के लिए उसके द्वारा प्रस्थापित कीमत की संसूचना के प्रति किसी निर्देश को सम्मिलित समझा जाएगा जो किसी भी प्रकार की कोटेशन प्रस्तुत करके या अन्यथा कीमत उपदर्शित करने वाले चिन्ह के साथ वस्तु को विक्रय के लिए प्रस्तुत करके कीमत-सूची के प्रकाशन द्वारा किया जाएं ;

(15) "अनुज्ञा" से निरसित आदेशों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा अभिप्रेत है ;

(16) "व्यक्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(i) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वे निगमित हों या नहीं ; और

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित कंपनी ;

(iii) फर्म व्यौहारी-विनिर्माण प्रसंस्करणकर्ता उत्पादक ;

(iv) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब ;

(v) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती किसी पद के भीतर नहीं आता है ;

(17) "शक्ति" का वही अर्थ होगा जो उसका कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में है ;

(18) "शक्तिचालित करघा" से ऐसा करघा अभिप्रेत है जो शक्ति से चलता है और जिसका प्रयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है ;

(19) "विद्यमान शक्तिचालित करघा" से वे करघे अभिप्रेत हैं जो इस आदेश के प्रारंभ के समय संस्थापित है और काम कर रहे हैं ;

(20) "प्रसंस्करणकर्ता" से, उत्पादक से भिन्न वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कपड़े या सूत के उत्पादन के बाद अनुषंगी प्रक्रिया में, उदाहरणार्थ —रंगाई विरंजन, मरसरीकरण कशीदाकारी, छपाई, उठाई, समुद्रण या फिनिशिंग में शक्ति-चालित उपकरण या भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 2 के खंड (ख) में यथा परि-भाषित बायलर द्वारा उत्पादित वाष्प के उपयोग द्वारा चालित उपकरण पर लगे हैं और "प्रसंस्करण" पद और उसके व्याकरणिक रूप में दो का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(21) "उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शक्ति द्वारा कपड़े या सूत या दोनों के उत्पादन में लगा हुआ है और "उत्पाद" शब्द और उसके व्याकरणिक रूप में भेदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(22) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसके क्षेत्र में शक्तिचालित करघा या विद्यमान शक्ति-चालित करघा अवस्थित है या अवस्थित किया जाने वाला है और जो इस नियम में अधिसूचित किया गया है ;

(23) "रेशमी सूत या रेशमी कपड़े" से ऐसा सूत या रेशमी कपड़ा अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर प्राकृतिक रेशम अत्यधिक है या जहां या तो प्राकृतिक रेशम और कृत्रिम रेशे (अविच्छिन) या कृत्रिम रेशे (विच्छिन) या उसमें से कोई अत्यधिक हैं ;

(24) "कताई मशीन" से ऐसी मशीन अभिप्रेत है, जिसमें तकुआ, घूर्णक या कोई अन्य युक्ति है जो शक्ति द्वारा चलाई जाती है और जिसका प्रयोग सूत के उत्पादन में किया जाता है ।

(25) "वस्त्र आयुक्त" से ऐसा वस्त्र आयुक्त अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई वस्त्र आयुक्त, संयुक्त अपर वस्त्र आयुक्त, औद्योगिक सलाहकार या सलाहकार (सूती) आते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नियुक्त किए गए हों ;

(26) "ऊन" के अन्तर्गत पशुओं के नाम भी आते हैं ;

(27) "ऊन चूड़ा" से ऐसा कंकतकृत ऊंची और प्राणी बाल प्रपट्ट अभिप्रेत है जिसका प्रयोग वर्स्टेड सूत की कताई के लिए किया जाता है ।

(28) "ऊनी सूत या कपड़े" से ऐसा सूत या कपड़ा अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर ऊन अत्यधिक है या जिसमें कपास से भिन्न कोई रेशे समान रूप से भार के आधार पर अत्यधिक हो और इसके अन्तर्गत कर्षित या गार-नेट किए हुए चिथड़ों से विनिर्मित सूत भी आते हैं ;

(29) "सूत" से इसके व्याकरणिक रूप भेदों के सहित, ऐसा सूत अभिप्रेत है जो मुख्यतः कपास, ऊन या कृत्रिम रेशों (अविच्छिन) कृत्रिम रेशों (विच्छिन) या प्राकृतिक रेशम या किसी अन्य प्राकृतिक या खनिज रेशों या इन साम-ग्रियों में से किसी के अपशिष्ट से विनिर्मित किया जाता है और इसके अन्तर्गत धात्विक धात्वीकृत सूत भी आते हैं।

भाग 2

कताई और बुनाई यंत्र :

4. (1) कोई व्यक्ति वस्त्र आयुक्त से प्रमाण-पत्र पहले प्राप्त किए बिना कपास सूत, ऊनी सूत या कृत्रिम रेशा सूत के उत्पादन के लिए कोई कताई मशीन संस्थापित नहीं करेगा ।

(2) प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वस्त्र आयुक्त के नाम से चार सौ रुपए का एक बैंक मांग ड्राफ्ट जो बम्बई में देय होगा, संलग्न किया जाएगा । इस प्रकार संदत्त फीस वापस नहीं की जाएगी, और अनु-संधान, विकास और नमूनों के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली कताई मशीन के संस्थापन के लिए अनुज्ञा की दशा में कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(4) विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त हो जाने पर वस्त्र आयुक्त या तो प्रमाण-पत्र दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा।

(5) इस खंड की कोई बात किसी अनुज्ञाप्ति के अनु-सरण में किसी कताई मशीन के संस्थापन को वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसी अनुज्ञाप्ति उद्योग (विकास और वि-नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित हो ।

(6) निरसित आदेशों के अधीन जारी किए गए सभी प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र इस आदेश के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे ।

5. खंड 4 के अधीन प्रमाण-पत्र देने या देने से इंकार करने में वस्त्रायुक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) सूत की अपेक्षा ;

(ख) उपक्रम का आकार ;

(ग) उपक्रम में पहले से ही संस्थापित प्रारंभिक और अन्य मशीनों की किस्म ;

(घ) कताई उद्योग में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने या या पुनर्वासित करने की आवश्यकता ।

6. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी कताई मशीन को किसी व्यक्ति को विक्रय करेगा या अन्यथा उसका व्ययन करेगा या कताई मशीन के अवस्थान का परिवर्तन करेगा वह, ऐसे विक्रय या व्ययन या अवस्थान के परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र को संशोधित करवाएगा :

परन्तु जहां नया अवस्थान किसी महानगरीय क्षेत्र या किसी नगर की सीमाओं के भीतर हो, वहां प्रमाण-पत्र या अनुज्ञाप्त में ऐसे संशोधन के लिए पूर्वानुमोदन वस्त्रायुक्त से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(2) ऐसे संशोधन के लिए कोई फीस उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी । विक्रय या व्ययन की दशा में प्रमाण-पत्र को संशोधित कराने का उत्तरदायित्व अन्तरणकर्ता और अन्तरिती दोनों पर होगा ।

7. वस्त्रायुक्त, खंड 4 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करते समय तत्समय प्रवृत्त सरकारी नीति के आधार पर उत्पादित किए जाने वाले सूत के प्रकार को और अनुज्ञेय बहु रेशा नम्यता के विस्तार को विनिर्दिष्ट करेगा ।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति, इस आदेश के आरंभ होने की तारीख या अर्जित करने की तारीख से इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, नब्बे दिन के भीतर वस्त्रायुक्त के पास या वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के पास ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जैसा सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े या कृत्रिम रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रत्येक ताना मशीन, बुनाई मशीन, फीता बनाने वाले मशीन के प्रमाण-पत्र दिए जाने की बाबत विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) इस खंड के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा जैसा वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

भाग 3

शक्ति चालित करघे :

9. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन निरसित आदेश के अधीन जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञापत्र या प्रमाण-पत्र सहित "विद्यमान शक्ति चालित करघा या करघे" हैं, इस आदेश के आरम्भ होने की तारीख से छह मास के भीतर इस आदेश के अधीन प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन निरसित आदेश के अधीन जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी के विधिमान्यत अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना विद्यमान शक्तिचालित करघा या करघे हैं, इस आदेश के आरम्भ होने के नब्बे दिन के भीतर इस आदेश के आधीन प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति,—

(i) इस आदेश के आरम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पहले अभिप्राप्त किए बिना किसी महानगरीय क्षेत्र या किसी नगर में कोई शक्तिचालित करघा संस्थापित नहीं करेगा; और

(ii) महानगरीय क्षेत्र या किसी नगर से भिन्न किसी क्षेत्र में शक्तिचालित करघा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र पहले अभिप्राप्त किए बिना चालित नहीं करेगा ।

(4) प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(5) ऐसे सभी आवेदनों के साथ दो सौ पचास रुपए का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नाम में संदेय हो, प्रत्येक शक्तिचालित करघा के लिए फीस के रूप में संलग्न होगा :

परन्तु ऐसे शक्तिचालित करघों की दशा में जहां निरसित आदेश के अधीन विधिमान्य अनुज्ञापत्र या प्रमाण-पत्र विद्यमान हो कोई फीस से संदेय नहीं होगी ।

(6) उपखंड (5) के अधीन संदत्त फीस वापस नहीं की जाएगी ।

(7) इस खंड में की कोई बात ऐसे शक्तिचालित करघे के संस्थापन पर जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञाप्ति या उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं लागू नहीं होगी :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति का धारक, यथास्थिति, इस आदेश के आरम्भ

होने के नब्बे दिन के भीतर या नई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के नब्बे दिन के भीतर समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को शक्तिचालित करघों की संख्या के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करेगा :

परन्तु और कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन उपखंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारण से विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से निवारित हुआ है, आवेदन ग्रहण कर सकेगा, शक्तिचालित करघे को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।

10. (1) कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी महानगरीय क्षेत्र या किसी नगर में कोई शक्तिचालित करघा स्थानान्तरित नहीं करेगा :

परन्तु किसी शक्तिचालित करघे को किसी महानगर क्षेत्र या किसी नगर से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए ऐसी अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी ।

(2) सभी शक्तिचालित करघे इस आदेश के अधीन जारी किए गए प्रमाण-पत्र की तारीख से 6 मास के भीतर संस्थापित किए जाएंगे, जिसके न हो सकने पर, प्रमाण-पत्र व्यपगत हो जाएगा और वह प्रभावी नहीं रहेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, 6 मास के भीतर, उसके स्वामित्वाधीन किसी शक्तिचालित करघे को बंद किए जाने की सूचना रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देगा और ऐसे प्रमाण-पत्र के अधीन आने वाले सभी शक्तिचालित करघों के बंद हो जाने की दशा में अपना प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित कर देगा ।

11. (1) खंड (9) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(2) शक्तिचालित करघे का प्रत्येक स्वामी, अपने प्रमाण-पत्र को प्रत्येक 5 वर्ष में प्रति शक्तिचालित करघा 50 रु. फीस का संदाय करके वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करके नवीकृत कराएगा ।

12. खण्ड 9 के अधीन जारी किए गए प्रमाण-पत्र और खण्ड 10 के अधीन अनुज्ञा का प्रत्येक धारक उसके जारी किए जाने के 6 मास के भीतर वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी,—

(क) संस्थापित शक्तिचालित करघे के प्रकार और संख्या की बाबत पूर्ण ब्यौरा :—

(ख) विद्युत उपभोक्ता संख्या ; और

(ग) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि—

(1) रजिस्ट्रीकरण संख्या, प्रत्येक शक्ति चालित करघे के सहजदृश्य भाग पर लगा दी गई है ; और

(2) यह कि परिसर के एक भाग पर एक ऐसी प्लेट लगा दी गई है, जो उस के भीतर संस्थापित शक्ति चालित करघे की संख्या और उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या उपदर्शित करती है ;

परन्तु यह कि खंड के उपखंड (2) के अधीन शक्तिचालित करघे के स्थानान्तरित किए जाने की दशा में ऐसी रिपोर्ट ऐसे स्थानान्तरण के एक मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

13. शक्तिचालित करघे के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करते समय, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भारत सरकार की नीति के अनुसार उत्पादित किए जाने वाले कपड़े के किस्म को विनिर्दिष्ट करेगा ।

14. इस आदेश के अधीन प्रमाण-पत्र देते समय या देने से इंकार करते समय या उसमें कोई संशोधन करते समय; रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(क) शक्तिचालित करघे का प्रस्तावित अवस्थापन;

(ख) उपक्रम का आकार;

(ग) क्या संस्थापित किए जाने वाला शक्तिचालित करघों का भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार कपड़े की बुनाई के लिए उपयोग किया जाएगा :

परन्तु इस आदेश के अधीन ऐसा कोई प्रमाण-पत्र या उसका संशोधन ऐसी मदों के उत्पादन के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा जो हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन हथकरघाओं द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित हैं ।

भाग 4

प्रकीर्ण

15. यदि, यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त, या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का इस संबंध में उसको किए गए निर्देश से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको खण्ड 4 या खण्ड 8 या खण्ड 9 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, ऐसा प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए गलत सूचना दी है, तो वह, ऐसी किसी कार्रवाई पर जो किसी विधि के अधीन प्रमाण-पत्र के धारक के विरुद्ध की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामले में सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहृत कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसको पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर ऐसे आदेश या प्रतिसंहरण को रद्द कर देगा ।

16. (1) वस्त्र आयुक्त, समय समय पर, निम्नलिखित के बारे में किसी विनिर्माता के वर्ग अथवा साधारण विनिर्माताओं के लिए लिखित निदेश जारी कर सकेगा—

(क) ऐसे कपड़े या कपड़े या सूत्र के विनिर्देश जिन्हें प्रत्येक विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माता विनिर्मित करेंगे या विनिर्मित नहीं करेंगे ;

(ख) ऐसे कपड़े या सूतों की अधिकतम या निम्नतम मात्रा जिन्हें ऐसा विनिर्माता, या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माता ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, विनिर्मित करेगा ;

(ग) कारखाना पूर्व की अधिकतम कीमत, थोक या फुटकर कीमत जिस पर किसी वर्ग या विनिर्देश के कपड़े या सूत का विक्रय किया जा सकेगा।

(घ) ऐसे सिद्धांत जिन पर और वह रीति जिसमें ऐसी अधिकतम कीमत विनिर्माता द्वारा अवधारित की जाएगी; और

(ङ) अट्टियों में, शंकुओं या किसी अन्य रूप में सूत को पैक करने की रीति और ऐसे अनुपात में जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, विचार करेगा :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई निदेश जारी करने में वस्त्र आयुक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(1) कपड़े या सूत की मांग;

(2) जन साधारण की आवश्यकताएं;

(3) ऐसे कपड़े या सूत के लिए उद्योग की विशेष अपेक्षाएं;

(4) विभिन्न प्रकार या विनिर्देश के कपड़े या सूत के विनिर्माण या पैक करने की विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माताओं की क्षमता; और

(5) सामूहिक उपयोग के कपड़े को जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।

(2) उपखंड (1) के अधीन किसी निदेश को जारी करते समय वस्त्र, आयुक्त यह भी उपबन्ध कर सकेगा कि ऐसा निदेश विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माताओं द्वारा निदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पैक किए गए कपड़े या सूत की मात्रा के संबंध में होगा।

(3) प्रत्येक विनिर्माता, या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माता जिन्हें यह निदेश जारी किया गया है, इसका अनुपालन करेंगे ।

(4) जब किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग द्वारा किए गए आवेदन से या अन्यथा वस्त्र आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस खण्ड के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से किसी ऐसे विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को असम्यक् कष्ट या कठिनाई कारित होती है तो वह आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, वह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को यह निदेश लागू नहीं होंगे या ऐसे उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे जैसे कि इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17. (1) वस्त्र आयुक्त, विनिर्माता या किसी वर्ग के व्यापारी द्वारा बनाए गए चिन्ह या उसके द्वारा विनिर्मित या विक्रित कपड़े या सूत के विनिर्देश और समय और ऐसे चिन्ह को बनाने की रीति, को विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) लम्बाई, चौड़ाई, गणना या भार के संबंध में इस खण्ड के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक चिन्हांकन व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 95 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए उस समय प्रवृत्त अनुदेशों में अन्तर्विष्ट रूपभेद की सुसंगत सीमा के अध्याधीन होगा।

(3) जहां इस खण्ड के अधीन कपड़े या सूत के किसी वर्ग या विनिर्देश की बाबत किए जाने वाले चिन्हांकन और चिन्हांकन का समय और रीति विनिर्दिष्ट की गई है —

(क) वहां विनिर्माता या व्यापारी, यथास्थिति, ऐसे कपड़े या सूत में, विनिर्दिष्ट समय और रीति में, उस पर किए जाने वाले चिन्हांकन कारित करेगा ;

(ख) ऐसे विनिर्माता या व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या सूत पर किए जाने वाला चिन्हांकन कारित नहीं करेगा ;

(ग) ऐसे विनिर्माता से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसा कोई कपड़ा या सूत जो इस प्रकार चिन्हांकित नहीं है अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखेगा जब तक कि यह उसको वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए न हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति ऐसे कपड़े या सूत पर जो उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत वास्तविक आवश्यकताओं से अन्यथा धारित है, लगे किसी चिन्हांकन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसे विरूपित नहीं करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन या उसका विरूपण नहीं होने देगा।

(ङ) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या सूत पर, विनिर्दिष्ट चिन्हांकनों से मिलता हुआ कोई चिन्हांकन नहीं लगाएगा ।

(च) कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे या नियंत्रण में, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से अन्यथा ऐसा कोई कपड़ा या सूत नहीं रखेगा जिस पर लगे चिन्हांकन में कोई परिवर्तन या उसका विरूपण किया गया है या वह इस प्रकार का है जो पैरा (ङ) में विनिर्दिष्ट है।

(4) जहां उपखंड (1) के अनुसरण में किसी कपड़े के एक सिरे पर चिन्हांकन लगाना अपेक्षित हो तो उक्त चिन्हांकन वाला वह भाग, किसी भी समय उक्त कपड़े से अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त चिन्हांकन वाले भाग से भिन्न भाग का विक्रय नहीं हो जाता।

18. (1) वस्त्र आयुक्त कपड़े या सूत का उचित वितरण कराने की दृष्टि से और इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन कराने की दृष्टि से किसी विनिर्माता या व्यौहारी या विनिर्माताओं या व्यौहारियों के वर्ग को,—

(क) कपड़े या सूत को विनिर्दिष्ट मात्रा का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विक्रय या परिदत्त करने;

(ख) विनिर्दिष्ट वर्णन के कपड़े या सूत का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वस्त्र, आयुक्त, निदेश में विनिर्दिष्ट करें, विक्रय या उसको परिदत्त न करने का निदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपखण्ड (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है तो यथास्थिति, विनिर्माता या व्यौहारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन निदेश जारी करते समय, वस्त्र आयुक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताएं ;

(ख) विभिन्न वर्णन के कपड़े या सूत की उपलब्धता; और

(ग) किसी स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताएं।

19. कोई भी विनिर्माता या व्यौहारी, खंड 16 के अधीन इस निमित विनिर्दिष्ट या नियत अधिकतम मूल्य से अधिक कीमत पर किसी कपड़े या सूत का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय को प्रस्थापना नहीं करेगा।

20. कपड़े या सूत का प्रत्येक विनिर्माता या व्यौहारी, ऐसी लेखा बहियां और अपने कारबार से संबंधित अन्य अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसी विवरणी या जानकारी उतने अंतराल पर प्रस्तुत करेगा जो वस्त्र आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

21. (1) वस्त्र आयुक्त, इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए—

(क) किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में की ऐसी कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उस व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कारबार से संबंधित है

(ख) किसी व्यक्ति से, लिखित रूप में किसी ऐसी वस्तु के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे यह आदेश लागू होता है

(ग) किसी व्यक्ति की या उसके नियंत्रण के अधीन लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा

(घ) किसी परिसर में प्रवेश और उसकी तलाशी कर सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश करने और उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी किसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है या परिसर में किसी अन्य वस्तु को भी जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसका उपयोग ऐसे उल्लंघन में किया गया है या किए जाने के लिए आशयित है।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपखंड (1) के अधीन कोई जानकारी देने या नमूना प्रस्तुत करने या कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की गई है, ऐसी अपेक्षा का पालन करेगा।

(3) तलाशी और अधिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 102 और 103 के उपबंध जहां तक हो सके, इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

22. (1) इस आदेश के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित के भारसाधक अधिकारियों को निदेश दे सकेगा —

(1) वस्त्र और कपड़ा मुख्य निरीक्षणालय, कानपुर की प्रयोगशालाएं, या

(2) भंडार महानिरीक्षणालय कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली या मद्रास की प्रयोगशालाएं, या

(3) यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी कपड़े या सूत की बाबत परीक्षणों को करने या करवाने के लिए टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अधीन गठित टेक्सटाइल समिति द्वारा स्थापित कोई प्रयोगशाला।

(2) जहां उप-खंड (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है वहां संबंधित प्रयोगशाला का भारसाधक अधिकारी यथास्थिति वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस प्रकार किए गए किसी परिक्षण की बाबत रिपोर्ट करेगा और ऐसी किसी रिपोर्ट का इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए किसी विचारण में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

23. (1) यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सूत या कपड़ा या दोनों की पूर्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के विचार से किसी व्यक्ति को अपने कारखाने या उसके किसी भाग को खोलकर हटाने या कारखाने की मशीनरी को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए रखे गए किसी फालतू पुर्जे को अपने कारखाने से हटाने से प्रतिषिद्ध करते हुए निदेश जारी कर सकेगा और जहां ऐसे निदेश जारी किए जाते हैं वहां ऐसा व्यक्ति जिसे वे जारी किए जाते हैं उनका अनुपालन करेगा।

(2) उप-खंड (1) के अधीन निर्देश जारी करते समय, यथास्थिति वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :—

(i) देश में उपलब्ध कपड़े और सूत की पूर्ति और उसके लिए मांग ;

(ii) कारखाने के वित्तीय और अन्य स्रोत ;

(iii) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि कारखाने को खोलकर हटाना या हटाने से लोकहित के लिए हानिकर होने की संभावना है, कोई अन्य सुसंगत परिस्थितियां।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड में "कारखाने" और "मशीनरी" को खोलकर हटाना शब्द का निम्नलिखित अर्थ होगा—

(क) "किसी कारखाने को खोलकर हटाने से" कारखाने की मशीनरी या मशीनरी के पुर्जों को उनके अपने स्थान से हटाना अभिप्रेत है जिससे कारखाने का इस प्रकार हटाया जाना इसके प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः अनुपयुक्त हो जाता है किन्तु इसके अंतर्गत मशीनरी या उसके पुर्जों को समायोजन करने सफाई करने और मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए उनको अस्थायी रूप में हटाना नहीं है ;

(ख) "कारखाने" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित कोई कारखाना अभिप्रेत है ;

(ग) "मशीनरी" शब्द का वही अर्थ है जो उसका कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ञ) में है।

भाग-5

प्रक्रिया और शास्ति :—

24. (1) वस्त्र आयुक्त लिखित रूप में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अपनी ओर से इस आदेश के अधीन अपने सभी या किसी कृतियों और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार लिखित रूप में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को इन आदेशों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

25. (1) ऐसा अधिकारी जिसे वस्त्र आयुक्त या सरकार द्वारा या अन्यथा उसकी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है इन आदेश के प्रयोजनों के लिए वस्त्र आयुक्त का अधीनस्थ होगा और ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किन्हीं आदेशों के विरुद्ध कोई अपील (जो किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील है) ऐसे अधिकरियों द्वारा पारित आदेश की संसूचना के 30 दिन के भीतर किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा वस्त्र आयुक्त को की जाएगी।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है, इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, अपील प्राधिकारी का अधीनस्थ होगा और उक्त अधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, उक्त अधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की संसूचना के 30 दिन के भीतर किसी व्यथित द्वारा अपील प्राधिकारी को की जाएगी।

26. इस आदेश के अधीन, वस्त्र आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर अपील केन्द्रीय सरकार को कर लेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

27. केन्द्रीय सरकार वस्त्र आयुक्त या अन्य ऐसे अधिकारियों में से किसी को, जो इस आदेश के अधीन किसी या सभी विषयों पर किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई आदेश या निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगी, और संबंधित अधिकारी सरकार के ऐसे आदेशों या निदेशों का पालन करेंगे।

28. कोई व्यक्ति, इस आदेश के उपबंधों की अपवंचना करने के आशय से, उससे खंड 14 के अधीन विधिक रूप से मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा या उसके कारबार के अनुक्रम में उसके द्वारा रखी जाने वाली किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज को नहीं छिपाएगा, नष्ट नहीं करेगा विच्छेद नहीं करेगा या निरूपित नहीं करेगा।

29. ऐसा कोई न्यायालय जो इस आदेश के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन का विचारण कर रहा है यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तुएं जिसकी बाबत इसका यह समाधान हो गया है कि इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है सरकार को समपहृत हो जाएगी

30. इस आदेश के प्रयोजनों के लिए "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है।

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 2nd April, 1986

ORDERS

No. 8|37|85-TPC:—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

PART I

1. Short title, extent and commencement:—

(1) This Order may be called the Textiles (Control) Order, 1986.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Repeal and saving.—The following Orders issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) are hereby repealed:—

(1) The Cotton Textiles (Control) Order, 1948.

(2) The Textiles (Production by Powerlooms) Control Order, 1956.

(3) Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962.

(4) The Woollen Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962.

(5) The Textiles (Production by Knitting, Embroidery, Lace making and Printing Machines) Control Order, 1963.

Provided that any order made, notification issued, right accrued, penalty incurred or anything done or deemed to have been done under the Orders so repealed, shall be deemed to have been made, issued, accrued, incurred or done under the corresponding provisions of this Order.

3. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(1) Definition's:—"appellate authority" means the officer of the State Government or Union Territory Administration within whose territory the powerloom or existing powerloom is located or is to be located and who is notified as such:

(2) an article shall be deemed to be in the possession of a person when it is held on behalf of that person by another person or when it is held by that person on behalf of another person:

(3) "certificate" means the certificate of registration granted under this Order or under the repealed Orders;

(4) "city" means the area within the local limits of a municipal authority (by whatever name called) with a population of more than five lakhs as determined in the Census of India, 1981;

(5) "cloth" means any fabric made either wholly or partly from cotton, wool, or man-made fibre (continuous) or man-made fibre (discontinuous), natural silk, or wastes of any of these materials and includes cloth containing any other yarn, but does not includes;

(a) house pipe;

(b) hosiery including hosiery, knitted or tubular fabric containing one thread running throughout the entire fabric;

(c) leather cloth, inferior or imitation leather cloth ordinarily used in book-binding or for making book-binding cloth;

(d) made-up clothing;

(e) plush-cloth in the manufacture of which cotton yarn is used;

(f) rubberised or synthetic water-proof fabric whether single textured or double textured;

(g) tracing paper;

(6) (a) "controlled cloth" means any variety or class or specification of cloth for which the maximum price or the principles on which or the manner in which the maximum price is to be determined by a manufacturer as specified by the Textile Commissioner under clause 16;

(b) "non-controlled cloth" means any cloth other than the controlled cloth;

(7) "cotton yarn or cloth" means any type of yarn or cloth manufactured either wholly from cotton or partly from cotton and partly from any other material where cotton is predominent by weight:

(8) "Form" means a Form appended to this Order or as may be specified under this Order by the Textile Commissioner, or the concerned State Government or the Union Territory Administration.

(9) "knitting machine" means a warp-knitting machine and includes a machine commonly known as Raschael knitting machine;

(10). "lace making machine" means a machine worked by power for the production of fabrics of open mesh or net formed by crossing and interviewing threads;

(11) "man-made fibre yarn or cloth" means yarn or cloth where man-made fibre (continuous) or man-made fibre (discontinuous) is predominent by weight;

(12) "manufacturer" includes a producer or processor, or both and the expression "manufacturer" and its grammatical variations shall be construed accordingly;

(13) "metropolitan area" means the standard urban area limit as determined in the Census of India, 1981 having a population of more than ten lakhs;

(14) the expression "offer to sell" shall be deemed to include a reference to an intimation by a person of the price proposed by him for the sale of an article, made by the publication of a price list by exposing the article for sale in association with or bearing a mark indicating price by the furnishing of a quotation or otherwise, howsoever;

(15) "permit" means the permit granted under the repealed Orders;

(16) "person" includes:—

(i) an association of persons or a body of individuals whether incorporated or not; and

(ii) a company as defined in the Companies Act, 1956;

(iii) a firm|dealer|manufacturer|processor|producer;

(iv) a Hindu undivided family;

(v) every artificial juridical person, not falling within any of the preceeding items;

(17) "power" has the same meaning as in clause (g) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(18) "powerloom" means a loom which is worked by power and which is used or may be used for weaving cloth;

(19) "existing powerloom" means those powerlooms which are installed and working at the commencement of this Order;

(20) "processor" means a person other than a producer engaged in any ancillary process subsequent to the production of cloth or yarn such as dyeing, bleaching, mercerising, embroidering printing, raising, cloth embossing or finishing, on any equipment operated by power or by the use of steam generated by a boiler as defined in clause (b) of section 2 of the Indian Boiler's Act, 1923 (5 of 1923) and the expression "process" and its grammatical variations shall be constructed accordingly;

(21) "producer" means a person engaged in the production of either cloth or yarn or both by power and the expression "produce" and its grammatical variations shall be construed accordingly;

(22) "registration authority" means the officer of the State Government or a Union territory Administration under whose territory the powerloom or existing powerloom is located or is Less to be located and who are notified or such;

(23) "silk yarn or silk cloth" means the yarn or silk cloth where natural silk is predominant by weight or where either natural silk and man-made fibre (continuous) or man-made fibre discontinuous) or any of them is predominant;

(24) "spinning machine" means a machine having spindle, rotors or any other device worked by power and used for the production of yarn;

(25) "Textile Commissioner" means the Textile Commissioner appointed by the Central Government and includes any Additional Textile Commissioner, Joint Textile Commisioner, Industrial Adviser or the Adviser (Cotton) appointed by the Central Government in the Office of the Textile Commissioner;

(26) "wool" includes animal hair;

(27) "wool top" means combed woollen and animal hair sliver used for spinning worsted yarn;

(28) "woollen yarn or cloth" means the yarn or cloth where wool is predominent by weight or where wool and any fibre other than cotton are equally predominant by weight and includes the yarn manufactured out of pulled or garnetted rags;

(29) "yarn" with its grammatical variations, means manufactured predominantly from cotton, wool, or man-made fibre (Continuous) man-made fibres (discontinuous) or natural silk or any other natural or mineral fibres or waste of any of these materials and include metallic|metalised yarn;

PART II

Spinning and Knitting Machines:

4. (1) No person shall install any spinning machine for production of cotton yarn, woollen yarn or man-made fibre yarn without first obtaining a certificate from the Textile Commissioner.

(2) The application for certificate shall be made in such form as may be specified by the Textile Commissioner.

(3) Each application for grant of certificate shall be accompained by a bank demand draft for rupees four hundred payable at Bombay in favour of the Textile Commissioner. The fee so paid shall be non-refundable and no fee shall be charged in the case of permission for installation of a spinning machine to be used for the purposes of research, development and sampling;

(4) On receipt of application in the prescribed Form, the Textile Commissioner may either grant or refuse to grant the certificate.

(5) Nothing in this clause shall apply to the installation of a spinning machine in pursuance of a licence where such licence is required under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(6) All certificates or permits issued under the repealed Orders shall be deemed to have been issued under this Order.

5. In granting or refusing certificate under clause 4 the Textile Commissioner shall have regard to the following matters, namely:—

(a) the requirement of yarn;

(b) the size of the undertaking;

(c) the nature of the preparatory and other machines already installed in the undertaking;

(d) the necessity for training persons or rehabilitating persons in the spinning industry.

6. (1) A person, who sells or otherwise disposes of any spining machine to any person or changes the location of the spinning machine, shall get the certificate or permit amended within thirty days from the date of such sale or disposal or change of location:

Provided that where the new location is within the limits of a metropolitian area or a city, prior approval for such amendment in the certificate or permit shall be obtained from the Textile Commissioner.

(2) No fee shall be levied for such amendment. In case of sale or disposal, the responsibility of getting the certificate amended, shall be both on the transferer and the transferee.

7. The Textile Commissioner while issuing certificate under clause 4 shall specify the type of yarn to be produced and the extent of multifibre flexibility permissible in terms of Government policy in force.

8. (1) Every person shall, within ninety days of the date of commencement of this Order, or from the date of acquisition, whichever is later, shall apply to the Textile Commissioner or any authority specified by the Textile Commissioner in such Form as may be specified for frant of a certificate in respect of each warp, knitting machine, lace making machine for production of cotton cloth, woollen cloth, silk cloth, or man-made fibre cloth.

(2) The registration certificate under this clause shall be issued in such Form as may be specified by the Textile Commissioner.

PART III

Powerlooms:

9. (1) Every person, who owns "existing powerloom on powerlooms" with a valid permit of certificate from the competent authority issued under the repealed Orders, shall, within six months from the date of commencement of this Order, apply to the registration authority for the grant of a certificate under this Order.

(2) Every person, who owns "existing powerloom or Powerlooms" without any valid permit or registration certificate from the competent authority issued under the repealed Orders, shall within ninety days from the date of commencement of this Order, apply to the registration authority for the grant of a certificate under this Order.

(3) No person shall :

(i) after the commencement of this Order, install any powerloom in a metropolitan area or a city, without first obtaining a registration certificate from the registration authority; and

(ii) in an area, other than the metropolitan area, or a city, operate a powerloom without first obtaining a certificate from the registration authority.

(4) Application for a certificate shall be made in such Form as may be specified by the Textile Commissioner;

(5) All such applications, shall be accompanied by a bank demand draft for rupees two hundred and fifty payable in favour of registration authority, as fee for each powerloom;

Provided that no fee shall be payable in case of those powerlooms where a valid permit or certificate exists under the repealed Orders.

(6) The fee paid under sub-clause (5) shall be non-refundable;

(7) Nothing in this clause shall apply to the installation of powerloom which is covbred by a licence issued, under or which is covered by the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) :

Provided that the holder of a licence issued under the Act, shall within 90 days from the commencement of this Order, or within 90 days of the receipt of a new licence as the case may be, inform the appropriate registration authority the details regarding the number of powerlooms;

Provided further that where an application for registration certificate is made to the registration authority after the expiry of the period specified in sub-clauses (1) and (2) the registration authority, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the time specified, may accept the application, register the powerloom and issue a certificate.

10. (1) No person shall shift any powerloom to a metropolitan area or a city without prior permission in writing from the registration authority.

Provided that no such permission shall be necessary for shifting of any powerloom to an area other than a metropolitan area or a city.

(2) All powerlooms shall be installed within six months from the date of issue of a certificate under this Order failing which, the certificate shall lapse and cease to be effective.

(3) Every person shall, within six months, intimated to the registration authority by registered letter the closure of any powerloom owned by him and he shall surrender his certificate in case of closure of all powerlooms covered by such certificate.

11. (1) The certificate issued by the registration authority under clause (9) shall be valid for a period of five years from the date of registration.

(2) Every owner of powerloom shall get his certificate renewed every fire years on payment of fee of Rupees Fifty only per powerloom by making an application in the form specified by the Textile Commissioner.

12. Every holder of the certificate issued under clause 9 and permission under clause 10 shall, within six months of its issuance, send a report registration authority in the Form specified by the Textile Commissioner, giving—

(a) full details regarding the making and number of the powerloom installed;

(b) electricity consumer number; and

(c) a certificate to the effect that—

(i) the registration number has been put at a conspicuous place on each of the powerlooms and

(ii) that a plate has been affixed out side the premises indicating the number of powerlooms installed therein and their registration number:

Provided that in case of shifting of powerloom under sub-clause (2) of clause 10 such report shall be submitted within one month of such shifting.

13. While issuing certificate in respect of powerlooms, the registration authority shall specify the type of cloth to be produced in accordance with the policy of the Government of India.

14. While granting or refusing certificate or any amendment thereto under this Order, the registration authority shall have regard to—

(a) the proposed location of the powerlooms;

(b) the size of the undertaking; and

(c) whether the powerlooms proposed to be installed are to be utilised for weaving cloth as per the policy announced by the Government of India;

Provided that no certificate or amendment thereto under this Order shall be granted for production of items reserved for exclusive production by handlooms under the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985.

PART IV

Miscellaneous :

15. If the Textile Commissioner, or the registration authority, as the case may be is satisfied either on a reference made to him in this behalf or otherwise, that any person to whom a certificate under clause 4 or clause 8 or clause 9 has been issued, by him has supplied incorrect information for the purpose of obtaining such certificate, he may, without prejudice to any other action which may be taken against the holder of a certificate under any law, after giving an opportunity of being heard in the matter, revoke such certificate, by an order in writing;

Provided that the Textile Commissioner or the registration authority, as the case may be, on sufficient cause being shown to him, cancel any such order of revocation.

16. (1) The Textile Commissioner, may, from time to time, issue directions in writing to any manufacturer or class or manufacturers or manufacturers generally, regarding—

(a) the clause or specifications or cloth of yarn which each manufacturer or class of manufacturers or manufacturers generally shall or shall not manufacture;

(b) the maximum or minimum quantities of cloth or yarn which such manufacture, or class of manufacturers or manufacturers generally shall manufacture during such period as may be specified in the Order;

(c) the maximum price ex-factory, wholesale or retail at which any class or specification of cloth or yarn may be sold; or

(d) the principles on which and the manner in which such maximum prices may be determined by a manufacturer; and

(e) the manner of packing of yarn in hanks, cones or in any other form and in such proportion as he may consider necessary or expedient :

Provided that in issuing any direction under this clause, the Textile Commissioner shall have regard to :—

(i) the demand for cloth or yarn;

(ii) the needs of the general public;

(iii) the special requirements of the industry for such cloth or yarn;

(iv) the capacity of the manuaftcurer or class of manufacturers or manufacturers generally, to manufacture or pack different descriptions or specifications of cloth or yarn; and

(v) the necessity to make available to the general public cloth of mass consumption.

(2) While issuing any direction under sub-clause (1), the Textile Commissioner may also provide that such direction shall be with reference to the quantity of cloth or yarn packed by the manufacturer or class of manufacturers or manufacturers generally during the period specified in the direction.

(3) Every manufacturer, or class of manufacturers or manufacturers geneerally, to whom a direction has been issued shall comply with it.

(4) Where, on an application made by any manufacturer or class or manufacturers or other-wise the Textile Commissioner is satisfied that any direction issued by him under this clause causes undue hardship or difficulty to any such manufacturer or class of manufacturers, he may, by order and for reasons, to be recorded in writing, direct that the directions shall not apply, or shall apply subject to such modfications, as may be specified in the order, to such manufacturer or class of manufacturers.

17. (1) The Textile Commissioner may specify the markings to be made by a manufacturer or dealer of any class or specification of cloth or yarn manufactured or sold by him and the time and manner of making such markings.

(2) Every marking specified by the Textile Commissioner under this clause with respect to length, width, count or weight shall be subject to the relevant limits of variations contained in the instructions, for the time being in force issued by the Central Government under section 95 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).

(3) Where the markings to be made and the time and manner of marking in respect of any class or specification of cloth or yarn have been specified under this clause—

(a) the manufacturer or, the dealer, in such cloth or yarn, as the case may be, shall cause the markings to be made thereon at the time and in the manner specified;

(b) no person other than such manufacturer or dealer shall cause the markings to be made on any such cloth or yarn;

(c) no person other than such manufacturer shall have in his possession or under his control any cloth or yarn which is not so marked, unless it is for bonafide personal requirements;

(d) no person shall alter or deface or cause or permit to be altered or defaced any marking made on any such cloth or yarn held any him otherwise than for his bonafide personal requirements,

(e) no person shall make on any cloth or yarn any marking resembling the specified markings;

(f) no person shall have in his possession or under his control otherwise than for his bonafide personal requirements any cloth or yarn the marking whereon is altered or defaced or is of a character specified in paragraph (e).

(4) Where in pursuance of sub clause (1), markings are required to be made at one end of any piece of cloth, that portion of the piece containing the said markings shall not be cut or separated from the said piece of cloth at anytime till the portion other than the portion containing the said markings is sold.

18. (1) The Textile Commissioner, may, with a view to securing proper distribution of cloth or yarn and with a view to securing compliance with the provisions of this Order, direct any manufacturer or dealer or class of manufacturer or dealers—

(a) to sell or deliver specified quantities of cloth or yarn to specified persons;

(b) not to sell or deliver cloth or yarn of specified description except to specified persons and subject to such conditions as the Textile Commissioner may specify in the direction.

(2) Where any direction is issued under sub-clause (1) the manufacturers or dealers, as the case may be, shall comply with such directions.

(3) While issuing directions under sub-clause (1), the Textile Commissioner shall have regard to the following matters, namely :—

(a) the requirements of various categories of persons specified in sub-clauses (1);

(b) the availability of cloth or yarn of different descriptions; and

(c) the requirements of any local area.

19. No manufacturer or dealer shall sell, or offer to sell, any cloth or yarn, at a price higher than the maximum price specified or determined in this behalf under clause 16 specified or determined in this behalf under clause 16.

20. Every manufacturer of, and every dealer in, yarn or cloth, shall keep such books of accounts, and other records relating to his business and shall furnish such returns or information at such intervals as the Textile Commissioner may require.

21. (1) The Textile Commissioner may, with a view to securing compliance with this Order :—

(a) require any person to give such information in his possession with respect to any business carried on by that or any other person;

(b) require any person, in writing, to furnish samples of any articles to which this Order applies;

(c) inspect or cause to be inspected any books or other documents belonging to or under the control of any persons;

(d) enter and search, or authorise any person to enter and search, any premises and seize any article in respect of which he has reason to believe that a contravention of this Order has been committed and any other article in the premises which he has reason to believe has been or is intended to be used in connection with such contravention.

(2) Every person who is required to give any information or furnish sample or produce any books or other documents under sub-clause (1), shall comply with such requisition.

(3) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedures, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, so far as may be apply to searches and seizures under this clause.

22. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Order, the Textile Commissioner, or registration authority, as the case may be, may, direct the officer-in-charge of :—

(i) the laboratories of the Chief Inspectorate of Textiles and Clothing, Kanpur or

(ii) the laboratories of the Inspectorate General of Stores, Calcutta, Bombay, New Delhi, or Madras or

(iii) any of the laboratories established by the Textile Committee constituted under the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), to carry out or cause to be carried out such tests in relating to any cloth or yarn as may be specified by the Textile Commissioner or registration authority as the case may be.

(2) Where any direction is issued under sub-clause (1), the Officer-in-charge of the laboratory concerned shall make a report under his hand to the Textile Commissioner, or registration authority, as the case may be, in respect of any tests so carried out and such report may be used as evidence in any trial for contravention of any of the provisions of this Order.

23. (1) The Textile Commissioner, or registration authority, as the case may be may, with a view to maintaining and increasing the supply of either yarn, or cloth or both, issue directions to any person prohibiting him from dismantling his factory or any part thereof, or removing from his factory any spare part kept for maintaining the machinery of the factory in order, and where such directions are issued, the persons to whom they are issued shall comply with them.

(2) While issuing directions under sub-clause (1), the Textile Commissioner, or registration authority, as the case may be shall have regard to the following matters namely :—

(i) the supply of cloth and yarn available in the country and the demand therefor.

(ii) the financial and other resources of the factory;

(iii) any other relevant circumstances for the purpose of determining whether the dismantling or removal of a factory is likely to be detrimental to the public interest.

Explanation.—In this clause, the words "dismantling" "Factory" and "machinery" shall have the following meanings :—

(a) "dismantling a factory" means removing from its position the machinery or part of the machinery of the factory, whereby such removal of the factory is rendered wholly or partly useless for its

purpose, but does not include any temporary removal of the machinery or part thereof for the purposes such as adjustment, cleaning and repairs;

(b) "factory" means a factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(c) "machinery" has the meaning assigned to that word (in clause (j) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

PART V

PROCEDURE AND PENALTY

24. (1) The Textile Commissioner may, by a general or special order in writing, authorise any officer of the Central Government or State Government to exercise on his behalf all or any of his functions and powers under this Order.

(2) The State Government may, by a general or special order in writing, authorise any officer of the State Government to exercise all or any of the powers of registration authority under these orders.

25. (1) Any officer, authorised to exercise powers delegated to him either by the Textile Commissioner or the Government or otherwise, shall be subordinate to the Textile Commissioner for the purposes of this Order and an appeal (being an appeal against the order of a registration authority) against any of the orders passed by such officer shall be preferred to the Textile Commissioner by an aggrieved person within 30 days of the communication of the order passed by such officers.

(2) Any registration authority or any other officer empowered to exercise powers of a registration authority delegated to him by the State Government shall be subordinate to the Appellate Authority for the purposes of this Order, and appeal against any of the orders passed by the said officers shall be preferred to the Appellate Authority by an aggrieved person within 30 days of the communication of the order passed by said officer or registration authority.

26. Any person aggrieved by an order of the Textile Commissioner made under this Order, may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the date of communication of such order, and the decision of the Central Government thereon shall be final.

27. It shall be competent for the Central Government to issue any orders or directions to the Textile Commissioner or any of the other officers exercising any of the powers or performing any of the functions under this Order, on any or all matters and the respective officers shall comply with such orders or directions of the Government.

28. No person shall, with intent to evade the provisions of this Order refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 14 or conceal, destroy, multilate or deface any book or other document kept by him in the course of his business.

29. Any court trying contravention of any of provisions of this Order, may direct that any article or articles in respect of which, it is satisfied, that the provisions of this Order have been contravened, shall be forfeited to the Government.

30. For the purposes of this order, "State Government" includes the Union Territory Administration.

सं० 8/37/85-टीपीसी:— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास नियंत्रण आदेश, 1986 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. निरसन और व्यावृत्ति:— कपास नियंत्रण आदेश 1955, इस आदेश द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु, उक्त आदेश या उस समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी आदेश के अधीन बनाया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना, मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, प्रोद्भूत अधिकार, उपगत शास्ति या की गई या की गई समझी गई कोई बात, इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन बनाया गया समझा जाएगा या जारी की गई, मंजूर की गई, प्रोद्भूत, उपगत या की गई समझी जाएंगी।

3. परिभाषाएं:— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संविदा" से तुरन्त परिदान संविदा अभिप्रेत है;

(ख) "कपास" से अभिप्रेत है;—

(1) ओटी हुई कपास; और

(2) ओटी हुई और दाबी हुई कपास और इसके अंतर्गत भारतीय और विदेशी कपास दोनों हैं। किन्तु इसके अंतर्गत कपास की कताई में विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान फेंका जाने वाला 100 प्रतिशत कपास-युक्त या कपास और कपास रहित रेशों के मिश्रण से युक्त अपशिष्ट नहीं आता;

(ग) "कपास ओटाई कारखाना" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां कपास ओटी जाती है या जहां किसी भी प्रक्रिया से जिसमें भाप, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति का उपयोग अंतर्वलित हो, बिनौले से रेशा पृथक किया जाता है.

(घ) "कपास दाब कारखाना" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां, खुली कपास को, भाप, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति का प्रयोग करके दाबकर गांठों का रूप दिया जाता है;

(ङ) "कपास ओटन और दाब कारखाना" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां उपखंड (ग) और (ध) में, यथापरिभाषित कपास ओटन और कपास दाब, दोनों प्रक्रियाएं की जाती हैं;

(च) "विनिर्माता" से सूत का विनिर्माता अभिप्रेत है;

(छ) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब,

(ii) कंपनी

(iii) फर्म

(iv) व्यक्ति, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; और

(v) पूर्ववर्ती मदों में से किसी के अंतर्गत न आने वाला प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ;

(ज) "शक्ति" से विद्युत ऊर्जा या कोई अन्य प्रकार की ऊर्जा अभिप्रेत है, जो यांत्रिक रूप से पारेषित की जाती है और जो मानव या पशु के माध्यम से उत्पादित नहीं की जाती है ;

(झ) "तुरन्त परिदान संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिस में माल के तुरन्त या संविदा की तारीख के पश्चात् सात दिनों के भीतर परिदान और मूल्य के संदाय का उपबंध है, और ऐसी संविदा के अधीन, अवधि को, उसके पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से या अन्यथा बढ़ाया नहीं जा सकता ;

(ञ) किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के कब्जे में होना तब समझा जाएगा जब वह, उस व्यक्ति की ओर से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है या वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस व्यक्ति द्वारा धारित हो;

(ट) "सूत" और "वस्त्र आयुक्त" पदों के वही अर्थ हैं जो वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 में हैं।

4. स्टाक पर नियंत्रण :—(1) वस्त्र आयुक्त, कपास की ऐसी अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे कोई विनिर्माण किसी भी समय अपने कब्जे में रख सकता है:

परन्तु, जहां कोई विनिर्माता विनिर्दिष्ट अधिकतम मात्रा से अधिक कपास के क्रय के लिए पहले ही कोई संविदा कर चुका है, वहां, वह या तो ऐसी संविदाओं को रद्द कर देगा या ऐसी मात्रा से अधिक कपास को वस्त्र आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, ऐसी शर्तों पर जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाएं विक्रय कर देगा और उस का परिदान करेगा।

(2) वस्त्र आयुक्त, उपखंड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) सूत के विनिर्माण के लिए विनिर्माता द्वारा कपास की खपत :

(ख) सूत का विनिर्माण करने के लिए विनिर्माता की क्षमता; और

(ग) सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।

5. पैकिंग :—कपास ओटन कारखाने या कपास दाब कारखाने या कपास ओटन तथा दाब कारखानों का प्रत्येक स्वामी या पट्टेदार, कपास को, कपास की 170 कि० ग्रा० वाली मानक गांठों में, हर तरफ 5 कि० ग्रा० की सहायता सीमा सहित पैक करेगा :

परन्तु, वस्त्र आयुक्त, यदि उसका ऐसे स्वामी या पट्टेदार की उपर्युक्त निदेशों का पालन करने की असमर्थता के बारे में समाधान हो जाता है तो ऐसे स्वामी या पट्टेदार को, कपास को, उतनी मात्रा की गांठों में जितनी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पैक करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

6. जानकारी मांगने की शक्ति और निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति :—वस्त्र आयुक्त, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से—

(क) किसी विनिर्माता से उसके कब्जे में धृत कपास की मात्रा और किस्मों की बाबत जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) विनिर्माता की किसी बही या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करा सकेगा :

(ग) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी कर सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश और तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और किसी वस्तु का, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है और उस परिसर में कि किसी अन्य वस्तु का, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे उल्लंघन के संबंध में प्रयोग की गई या प्रयोग करने के लिए आशयित है, अभिग्रहण कर सकेगा या किसी व्यक्ति को ऐसा अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपखंड (1) के अधीन कोई जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन :—वस्त्र आयुक्त, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को, अपनी ओर से इस आदेश के अधीन

अपने सभी कृत्यों और शक्तियों या उनमें से किन्हीं का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

8. अपील :—इस आदेश के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश उसे संसूचित किए जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा, और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ;

परन्तु, केन्द्रीय सरकार, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगी यदि अपीलार्थी केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।

ORDER

No. 8|37|85-TPC.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This order may be called the Cotton Control Order, 1986.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Repeat and saving.—The Cotton Control Order, 1955 is hereby repealed :

Provided that any order made, notification issued, licence granted, right accrued, penalty incurred, or anything done or deemed to have been done under the said Order or any corresponding Order in force shall be deemed to have been made, issued granted, accrued, incurred or done under the corresponding provisions of this Order.

3. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires :—

(a) "contract" means a ready delivery contract;

(b) "cotton" means—

(1) ginned cotton; and

(2) ginned and pressed cotton, and includes both Indian and foreign cotton, but excludes all the wastes comprising either 10 per cent cotton or a mixture of cotton and non-cotton fibres thrown out during various processes in thee spinning of cotton;

(c) "cotton ginning factory" means any place where cotton is ginned or where cotton fibre is separated from cotton seed by any process whatever, involving the use of steam, water or other mechanical power or of electrical power;

(d) "cotton pressing factory" means any place where loose cotton is pressed into bales by the use of steam, water or other mechanical power or of electrical power;

(e) "cotton ginning and pressing factory" means any place where both cotton ginning and cotton pressing processes as defined in sub-clauses (c) and (d) are carried out;

(f) "manufacturer" means a manufacturer of yarn;

(g) "person" includes :—

(i) a Hindu undivided family

(ii) a company

(iii) a firm,

(iv) an association of persons or a body of individuals whether incorporated or not; and

(v) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding items;

(h) "power" means electrical energy or any other form or energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency;

(i) "ready delivery contract" means a contract which provides for the delivery of goods and the payment of a price therefor, either immediately or within seven days after the date of contract, the period under such contract not being capable of extension by the mutual consent of the parties thereto or otherwise;

(j) an article shall be deemed to be in the possession of a person when it is held on behalf of that person by another person or when held by that person on behalf of another person;

(k) the expressions "yarn" and "Textile Commissioner" shall have the same meaning as they have in the Textiles (Control) Order, 1986.

4. Control on stocks.—(1) The Textile Commissioner may specify the maximum quantity of cotton which a manufacturer may have in his possession at any time;

Provided that where a manufacturer has already entered into any contract for the purchase of cotton in excess of the maximum quantity specified, he shall either cancel such contracts or sell and deliver the excess quantity to a person nominated by the Textile Commissioner on such conditions as may be specified.

(2) In exercising the powers under sub clause (1), the Textile Commissioner shall have regard to the following matters, namely :—

(a) the consumption of cotton by the manufacturer for manufacturing yarn;

(b) the capacity of the manufacturer to manufacture yarn; and

(c) the need for promoting export of cotton textiles.

5. Packing.—Every owner or lessee of a cotton ginning factory or cotton pressing factory or cotton ginning and pressing factory shall pack cotton only in standard bales containing 170 kgs. of cotton with a tolerance of 5 kgs. on either side;

Provided that the Textile Commissioner may, if he is satisfied about the inability of any such owner or lessee to comply with the above direction, permit such owner or lessee to pack cotton in bales containing such quantity as may be specified by him.

6. Power to call for information and power to inspect, search & seize.—(1) The Textile Commissioner may with a view to securing compliance with this Order—

(a) require any manufacturer to give any information with respect to quantities and varieties of cotton held in his possession;

(b) inspect or cause to be inspected any book or other document belonging to the manufacturer;

(c) enter and search or authorise any person to enter and search any premises and seize or authorise any person to seize any article in respect of which he has reason to believe that a contravention of this order has been committed and any other article in the premises which he has reason to believe has been or is intended to be used in connection with such contravention.

(2) Every person who is required to give any information under sub-clause (1) shall comply with such requisition.

7. Delegation of Powers.—The Textile Commissioner, with the previous sanction of the Central Government, may by general or special order in writing authorise any officer to exercise on his behalf all or any of his functions and powers under this order.

8. Appeal.—Any person aggrieved by an order of the Textile Commissioner made under this Order may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the date of communication to him of such order and the decision of the Central Government thereon shall be final :

Provided that the Central Government may entertain an appeal after the expiry of said period of thirty days if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified time.

सं० 8/37/85-टीपीसी:— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेशों को तुरन्त प्रभावी रूप से विखंडित करती है,, अर्थात्:—

1. आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादन का विनियमन और वितरण) आदेश, 1966 से संबंधित आदेश सं० का० आ० 1027, तारीख 26 मार्च, 1966, और

2. वस्त्र मशीन (उत्पादन और वितरण) केन्द्रीय आदेश, 1962 से संबंधित आदेश सं० 3219, तारीख 19 अक्टूबर 1962।

सी० डी० चीमा, संयुक्त सचिव

No. 8/37/85-TPC.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the following Orders, namely :—

1. Order No. S.O 1027 dated the 26th March, 1966 relating to the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) Order, 1966; and

2. Order No. 3219 dated the 19th October, 1962 relating to the Textile Machinery (Production and Distribution) Control Order, 1962.

C. D. CHEEMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986